

प्रेषक,

हृदेश कुमार,
विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परियोजना समन्वयक,
उ०प्र० कृषि विविधीकरण परियोजना,
लखनऊ।

समन्वय अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 22 मई, 2012

विषय:— वित्तीय वर्ष 2012—13 में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के द्वितीय चरण के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—92/एच/F & A/डास्प/2009 दिनांक 13.04.2012 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—बी—1—547/दस—2012—231/2012, दिनांक 20 मार्च, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत परियोजना के प्रशासनिक व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2012—2013 के आयोजनागत मद में लेखानुदान द्वारा प्राविधिनित धनराशि रूपये—110000 हजार (रूपये ग्यारह करोड़ मात्र) के सापेक्ष चार माह (माह अप्रैल से जुलाई, 2012 तक) के लिए अर्थात् रूपये—36666 हजार (रूपये तीन करोड़ छाँठ लाख छाँठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

- (1) यह धनराशि भारत सरकार/विश्व बैंक के दिशा—निर्देशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार व्यय की जायेगी। विभागों हेतु स्वीकृत धनराशि से मदवार आवंटन परियोजना समन्वयक, डास्प के स्तर से किया जाएगा तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5, भाग—2 में उल्लिखित प्राविधानों में मितव्ययता सम्बन्धी समय—समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) उक्त धनराशि डास्प की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार ही व्यय की जाएगी। जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है उन्हीं मदों पर विश्व बैंक की गाईडलाइन्स के अनुसार व्यय किया जायेगा।
- (3) उक्त धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक में नहीं रखी जाएगी।

2— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–2013 के अनुदान संख्या—11 आयोजनागत के लेखाशीर्षक— "2401—फसल कृषि कर्म—109—विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण—97—यूपी० डाइवर्सीफाइड एग्रीकल्वर सपोर्ट प्रोजेक्ट —फेज-II, (विश्व बैंक पोषित)—42—अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3— उक्त आदेश वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या—बी—1—547 / दस—2012—231 / 2012, दिनांक 20 मार्च, 2012 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

/
(हृदेश कुमार)
विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर,
कृषि उत्पादन आयुक्त

संख्या—1063(1) / सम—73—2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, लेखा व हकदारी प्रथम व द्वितीय, उ०प्र०, 20 सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम व द्वितीय, उ०प्र०, 20 सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय—नियन्त्रण) अनुभाग—1 / नियोजन अनुभाग—3 / वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1
5. कृषि अनुभाग—3
6. श्री खान मोहम्मद आसिफ खान, प्रिन्सिपल सिस्टम एनालिस्ट, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा को वेबसाइट पर लोड करने हेतु।
7. वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(लालू)
अनु सचिव
४